न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 06/2014

दर्ज दिनांकः 02/04/2014

निर्णय दिनांकः 08/02 /2018

नोरती पुत्री स्व. सुखपाल जाति गुर्जर निवासीः ग्राम कांग्या, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....प्रार्थीया/अपीलान्ट

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र स्व. सुखपाल गुर्जर निवासीः झोल की ढाणी, बिसालु, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. गडुली पत्नि सरिया पुत्री स्व. सुखपाल गुर्जर निवासीः गुर्जरो की ढाणी, डाबिच, तहसील फागी, जिला जयपुर। (नाम हजफ)
3. सरजु पुत्री स्व. सुखपाल जाति गुर्जर
4. मन्नी पुत्री स्व. सुखपाल जाति गुर्जर,

   समस्त निवासीयानः ग्राम कांग्या, तहसील फागी, जिला जयपुर।
5. सरपंच ग्राम पंचायत लदाना, तहसील फागी, जिला जयपुर।
6. तहसीलदार, तहसील फागी, जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक फागी, जयपुर।

——अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम

–: निर्णय :–

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी अपील में प्रार्थीया/अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम इस

आशय का पेश किया कि प्रार्थीया ने उपरोक्त उनवानी अपील मान्य न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है। अपीलान्ट दिनांक 31.03.2014 को पटवार हल्का के पास विरासत का नामान्तकरण खुलवाने व सीमाज्ञान करवाने की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करने गई तब पटवार हल्का ने बताया की हकत्याग दिनांक 18.02.2013 के आधार पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 324/05.03.2013 के द्वारा रामेश्वर के पक्ष में खोला जा चुका है। इस पर अपीलान्ट ने हक त्याग व नामान्तकरण की नकल प्राप्त की उक्त तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी जानकारी होते ही अपील अंदर मियाद प्रस्तुत हैं। विवादित आराजी में अपीलान्ट का हक व हिस्सा है। अपीलान्ट ने किसी भी तहरह अपने हक की आराजी का कोई हक त्याग नहीं किया है उसके उपरांत भी संपूर्ण आराजी का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में खोल दिया इस प्रकार उक्त नामान्तकरण प्रारंभ से ही शून्य है। शून्य नामान्तकरण पर मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है परन्तु रफा ए हुज्जत मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थीया/अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुति में विलम्बित अवधि को बेव किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार मानी जाकर अपील का निस्तारण गुणावणुण पर किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, अपील इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि प्रार्थीया/अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत लदाना

के नामान्तकरण संख्या 324 दिनांक 05.03.2013 को अपास्त करने के लिये नामान्तकरण की दिनांक 05.03.2013 से लगभग 1 वर्ष पश्चात् दिनांक 02.04.2014 को अपील अंतर्गत धारा 75 प्रस्तुत की, जिसमें प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर उक्त अपील प्रस्तुति की देरी को डिलेकण्डोन करवाना चाहा है।

वकील प्रार्थीया ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया कि जिससे यह साबित हो कि अपील प्रस्तुति में हुई देरी को क्षमा किया जा सके। प्रार्थीया अपील प्रस्तुति में हुई देरी को क्षमा करने के लिये पर्याप्त सबूत पेश करने में असफल रही है इस कारण मेरे द्वारा न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के खारिज होने के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वतः खारिज है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08/02/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी